राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–5

☎ 0141-2227177 ✉ pdengg_rdd@yahoo.com Website: rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 27(69) ग्राविवि–5/PMAY-G/विविध/2021–22 जयपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2022

जिला कलक्टर,
जिला कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड,चित्तोडगढ, करौली,
धौलपुर, सवाईमाधोपुर, ।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत विशेष परियोजना के प्रस्ताव भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क (दिशा–निर्देश) के अध्याय–11 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना मे दी गई प्राकृतिक आपदाएं–बाढ, भूकम्प, आग आदि" के कारण उन परिवारों का पुनर्वास/पुनर्वावंटन जिनके मकान पूरी तरह/आंशिक रूप से टूट–फूट गए है के लिए विशेष परियोजनाओ के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त कम में योजनान्तर्गत बाढ से क्षतिग्रस्त आवासो के परिवारो को विशेष परियोजनाओ के तहत स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय अपीलेट कमेटी से अनुमोदन करवाते हुए निम्न बिन्दुवार सूचनाओं सहित प्रस्ताव विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करे।

1. विशेष परियोजना के अनुरोध के लिए विस्तृत औचित्य, जैसे, उक्त बाढ की अवधि, जिलो में बाढ की घोषणा आदि।
2. वित्तीय वर्ष जिसके लिए विशेष परियोजनाओं में लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये है।
3. वरीयता सूची मे वरीयता कमांक के साथ बाढ से प्रभावित लाभार्थियों की सूची (मय क्षतिग्रस्त आवास)।
4. क्षतिग्रस्त आवासो के लाभार्थियों को अन्य योजना से लाभान्वित किया गया है तो ऐसे लाभार्थियों की सूची।

(अपर्णा अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि. एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि